



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 17

Phone : 2661263,2737446 Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E_mail:scoutguide_bpl@dataone.in

क्र० / 2099 / रा०मु० / गति. / 2013
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04.07.2013

जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आ.वि.

पदेन

जिला कमिश्नर स्काउट

जिला.....म.प्र.

विषय:— दल गठन अभियान – 2013

सन्दर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1537 / रा.मु. / गति. / 2013, दिनांक 07.06.2013

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि शासन की मंशा अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में कब-बुलबुल, स्काउट-गाइड एवं रोवर-रेंजर दलों का गठन किया जाना है। जिसकी विस्तृत तिथिवार कार्ययोजना एवं निर्देश संलग्न कर भेजी जा रही है। सभी जिलों में आपके नेतृत्व में ब्लाक स्तर तक दल गठन अभियान संचालित किया जाना है। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण एवं आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक कलेण्डर में भी जुलाई माह में ही लक्ष्य सौंपा गया है। दल गठन अभियान के संबंध में निर्देश के साथ-साथ प्रपत्र भी संलग्न किये जा रहे हैं जो निम्नानुसार है :-

1. दल गठन अभियान प्रभावी ढंग से हो एवं नवीन दलों का गठन हो इसके लिये आपके पास अपंजीकृत शासकीय / अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करने का कार्य 10 जुलाई के पूर्व तक कर लिया जायें। **(संलग्न : प्रपत्र क्र-01 के अनुसार)**
2. अपंजीकृत शासकीय / अशासकीय विद्यालयों को स्काउट-गाइड दल संचालन हेतु पंजीकृत कराने हेतु संबंधित प्राचार्यों को आपकी ओर से लिखित में निर्देश 10 जुलाई 2013 तक जारी किये जावें, ताकि वह विद्यालय में दल गठन में रुचि ले सकें।
3. अपंजीकृत शासकीय / अशासकीय विद्यालयों में दल गठन हेतु डी.ओ.सी. / डी.टी.सी. (स्काउट / गाइड) जिला सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ विकासखंड पदाधिकारियों, स्काउटर-गाइडर पंजीकृत कराने हेतु सुनिश्चित कर अधिकतम 01 स्काउटर-गाइडर को पाँच विद्यालय पंजीकृत कराने हेतु लक्ष्य सौंपकर दिनांक 20 जुलाई 2013 के पूर्व निर्धारण करने हुए लिखित आदेश भी जारी किया जावें। **(संलग्न : प्रपत्र क्र-02 के अनुसार)**
4. दल गठन अभियान हेतु उपस्थित होने वाले गठन प्रभारी के जाने की सूचना पूर्व से ही संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख को दे दी जावें ताकि वे भी संस्था में उपस्थित रहें। दल गठन अभियान के प्रभारी विद्यालयों में दल गठन हेतु पहुँचने पर अपने साथ दल पंजीकरण प्रपत्र अवश्य साथ ले जावें। पंजीकरण प्रपत्र के साथ तीन प्रतियों में दल के सदस्य छात्र / छात्राओं के सूची

(24-32) नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा जिसमें अध्ययनरत है एवं पता सहित प्राप्त करें। साथ ही संस्था से एक स्काउटर-गाइडर हेतु शिक्षक/शिक्षिका के नाम भी लिखित सहमति के साथ प्राप्त करे, ताकि उक्त शिक्षक को प्रशिक्षित करने के पश्चात दल संचालन प्रारंभ किया जा सकें। दल संचालन में सहयोग हेतु संस्था प्राचार्य की भी लिखित में सहमति प्राप्त की जावे, यह कार्य दिनांक 30 जुलाई के पूर्व किया जाना है। (संलग्न: दल गठन हेतु प्रपत्र)

5. दल गठन पंजीकरण कार्य की पूर्ति एवं तीन प्रतियों में दल के छात्र/छात्राओं की सूची के साथ 01 दल की पंजीयन राशि, **32 स्काउट-गाइड** हेतु **30=00 रु.** + कोटामनी राशि **32X10=320=00 रु** एवं प्रति यूनिट लीडर शुल्क **15=00 रु** इस प्रकार कुल राशि **365=00 रु.** + विधालय में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर प्राप्त स्काउट शुल्क का **05%** ड्राफ्ट कुल राशि.....जिला कमिश्नर स्काउट, जिला.....के नाम से तैयार कराया जावे। इसके लिए 32 छात्र/छात्रा के पंजीयन हेतु निर्धारित राशि का विस्तृत विवरण संलग्न है।
6. प्रतिदिन दल गठन पंजीकरण फार्म, सूची मय राशि के ड्राफ्ट सहित जिला कमिश्नर स्काउट कार्यालय में जमा की जावे एवं दल गठन अभियान के समाप्ति पश्चात निर्धारित तिथि में राज्य मुख्यालय भोपाल को सम्पूर्ण प्रतिवेदन भेजे। **संलग्न प्रपत्र ए.एस.ओ.सी. के माध्यम से प्रेषित करें।**
7. स्काउट-गाइड दल गठन अभियान की समीक्षा जिला स्तर पर आपके द्वारा **प्रत्येक सप्ताह की टी.एल. बैठक में अनिवार्य रूप से की जावे एवं प्रगति की जानकारी ली जावे।**

अतः दल गठन अभियान की विस्तृत कार्ययोजना एवं आवश्यक प्रपत्र के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया दल गठन अभियान संचालित कर प्रगति प्रतिवेदन से समय-समय पर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

- संलग्न :-
1. कार्ययोजना
 2. प्रपत्रों के प्रारूप-3
 3. दल पंजीकरण फार्म



राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल, दिनांक 04.07.2013

पृ0क्र0/2100/रा0मु0/गति./2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. गौतम नगर भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र., सतपुडा भवन, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, जिला.....।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला.....।
5. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....।
6. समस्त उपायुक्त, आदिवासी विकास संभागीय कार्यालय.....।
7. समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.) संभागीय कार्यालय.....।
8. समस्त जिला मुख्य आयुक्त/जिला कमिश्नर-गाइड जिला.....।
9. समस्त जिला सचिव/जिला संगठक (स्का.गा.) जिला संघ.....।



राज्य सचिव

दल गठन अभियान की कार्ययोजना सत्र 2013-2014


क्रम	अवधि	कार्य योजना	उत्तरदायित्व	मार्गदर्शन	मानिटरिंग
1	10-15 जुलाई 13 तक आदेश जारी करना	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं संभागीय उपायुक्त की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास व जिला संयोजक को दल गठन एवं नवीनीकरण संबंधी परिपत्र जिलों को जारी कराना	ए0एस0ओ0सी0 (स्का0/गा0)	संयुक्त संचालक/ संभा. उपायुक्त आदि.विकास	एस0ओ0सी0 (स्का0/गा0)
2	16-20 जुलाई 2013 तक जिला स्तर पर समस्त तैयारियों पूर्ण करना	संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की बैठक संयुक्त संचालक एवं संभागीय उपायुक्त की अध्यक्षता में कराना एवं दल गठन अभियान के विषय में सम्पूर्ण कार्य योजना पर चर्चा करना एवं जानकारी देना ।	ए0एस0ओ0सी0(स्का0/गा0)	संयुक्त संचालक/ संभा. उपायुक्त आदि.विकास	एस0ओ0सी0 (स्का0/गा0)
3	20-30 जुलाई 2013 तक दल गठन का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करना	1-जिला संघ कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर दल गठन की जानकारी देना। योजना तैयार करना तथा जिन शालाओं में दल गठित नहीं है उनमें दल गठन हेतु ड्यूटी लगाना । 2- जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुखों को दल गठन एवं नवीनीकरण संबंधी निर्देश जारी कराना (विद्यालयों को चिन्हित करके) 3- 5 शास0+5 अशास0 कुल 10 अपंजीकृत विद्यालयों से सम्पर्क हेतु नामवार दल गठित कराना एवं पंजीकृत कराना (विद्यालयों को चिन्हित करके) 4- दल गठन के लिये जाने हेतु तिथि निर्धारित कर सूचना प्राचार्य को देना 5- दल गठन की कार्यवाही पूर्ण करना ।	डी0ओ0सी0 (स्का0/गा0) डी0टी0सी0 (स्का0/गा0) जिला सचिव	जि0मु0आयुव त जि0शि0अ0 / स0आ0आदि0 विकास जिला कमिन्शर गाइड	ए0एस0ओ0सी0 (स्का0/गा0)
4	5-10 अगस्त 2013 तक दल गठन की समीक्षा एवं जानकारी भेजना	1- शास0/अशास0 हाईस्कूल/उ0मा0वि0 के संस्था प्रमुखों की बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता	डी0ओ0सी0 स्का0/गा0	जि0शि0अ0 / स0आ0आदि0	ए0एस0ओ0सी0 (स्का0/गा0)

क्रम	अवधि	कार्य योजना	उत्तरदायित्व	मार्गदर्शन	मानिटरिंग
		में कराना एवं दल गठन की रिपोर्ट प्राप्त करना व समीक्षा करना । 2- क्रमांक 1 से 6 तक की कार्ययोजना के चरण की विस्तृत समीक्षा जिला संघ की बैठक में करना 3- समस्त जानकारी संकलित कर ए०एस०ओ०सी० को भेजना ।		विकास	
5	10-14 अगस्त 3013 तक जानकारी का प्रेषण	सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र सहित राज्य मुख्यालय भेजना	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा. उपायुक्त आदि.विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
6	20-30 अगस्त 13 तक मानीटरिंग	1- विकास खण्डवार दल गठन की समीक्षा विकास खण्ड स्तर पर जाकर ।	डी०ओ०सी० (स्का० / गा०) डी०टी०सी० (स्का० / गा०) जिला सचिव	जि०शि०ओ० / स०आ०आदि० विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
7	20-30 अगस्त 13 तक मानीटरिंग	ए०एस०ओ०सी०+डी०ओ०सी० द्वारा दल गठन की समीक्षा जिला स्तर पर	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	संयुक्त संचालक / संभा. उपायुक्त आदि.विकास	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)
8	2-5 सितम्बर 2013 के मध्य राज्य स्तर पर समीक्षा	राज्य मुख्या०स्तर पर दल गठन की समीक्षा	ए०एस०ओ०सी० (स्का० / गा०)	राज्य सचिव	



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय-शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल-17

Tel:0755-2661263, 2737446, Website:bsg.net, E-mail: scoutguide_bpl@data one.in

दल पंजीयन/नवीनीकरण आवेदन पत्र

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदि.वि.

पदेन जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड मध्यप्रदेश

जिला संघ.....

दल का नाम.....

दल प्रारंभ की तिथि.....संकुल केंद्र

चार्टर क्रमांक.....दिनांक.....नवीनीकरण दिनांक.....

संस्था का नाम.....मोहल्ला/वार्ड/ग्राम.....पोस्ट.....

ब्लाक.....तहसील.....जिला.....पिन कोड.....

पद	नाम	जन्मतिथि	स्काउट/गाइड प्रशिक्षण	पता व मोबाइल नंबर
संस्था प्रधान / ग्रुप लीडर / अध्यक्ष				
कब मास्टर/स्काउट मास्टर/रोवर लीडर				
फ्लाक लीडर/गाइड कैप्टन/रेंजर लीडर				
वेंचर क्लब लीडर				

1. विद्यालय में कुल छात्र/छात्राओं की संख्या.....छात्र.....छात्रा.....

(अ) वर्ष.....का अनुमानित कुल स्काउट/गाइड शुल्क.....

(ब) अंशदान 5 प्रतिशत की राशि वर्ष.....

2. दल संख्या (कब, बुलबुल, स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर वेंचर क्लब).....

3. दल में कब, बुलबुल, स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर वेंचर क्लब संख्या.....

4. शुल्क विवरण:-

दल	संख्या	दल पंजीयन राशि	कोटामनी प्रति व्यक्ति राशि	राशि कालम 3 वा 4 का योग	व्यस्क प्रशि.प्र.यू.ली. शुल्क	चालू वर्ष का 5 प्रतिशत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
कब/बुलबुल	24	10.00	5.00×24		15.00		
स्काउट/गाइड	32	30.00	10.00×32		15.00		
रोवर/रेंजर	24	40.00	10.00×24		15.00		
वेंचर क्लब	24	5.00	10.00×24		15.00		
स्वतंत्र दल	24	5.00	10.00×24		15.00		

श्रीमान की ओर संस्था.....का दल.....के पंजीयन शुल्क.....

राशि.....बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....के द्वारा आवेदन पत्र दो प्रतियों में सूची सहित दल पंजीयन/

नवीनीकरण करने हेतु सादर प्रस्तुत है।

स्काउटर/गाइडर हस्ताक्षर

ग्रुप लीडर/संस्था प्रधान पद मुद्रा सहित

संस्था

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क्र.	नाम/पिता का नाम	जन्मतिथि	योग्यता स्काउट/गाइड	घर का स्थाई पता	दूरभाष नं.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					

दल पंजीयन नवीनीकरण हेतु निर्देशिका संस्था एवं जिले हेतु

विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली स्काउट गाइड राशि का विवरण:

क्रमांक	विद्यालय	शुल्क 10 माह हेतु	व्यय मद
1.	अशासकीय/प्राथमिक	2/- रुपये	दल पंजीयन/नवीनीकरण कोटामनी 5 प्रतिशत अंशदान राशि, पत्रिका यूनिफार्म, स्काउट साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, अलमारी, दरी, शिविर उपकरण, टेण्ट, शिविर व कार्यक्रम पर व्यय, स्टेशनरी दल हेतु।
2.	अशासकीय/माध्यमिक	8/- रुपये	दल पंजीयन/नवीनीकरण कोटामनी 5 प्रतिशत अंशदान राशि, पत्रिका यूनिफार्म, स्काउट साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, अलमारी, दरी, शिविर उपकरण, टेण्ट, शिविर व कार्यक्रम पर व्यय, स्टेशनरी दल हेतु।
3.	अशासकीय/शासकीय हाईस्कूल	10/- रुपये	दल पंजीयन/नवीनीकरण कोटामनी 5 प्रतिशत अंशदान राशि, पत्रिका यूनिफार्म, स्काउट साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, अलमारी, दरी, शिविर उपकरण, टेण्ट, शिविर व कार्यक्रम पर व्यय, स्टेशनरी दल हेतु।
4.	अशासकीय/शासकीय उ.मा.वि.	10/- रुपये	दल पंजीयन/नवीनीकरण कोटामनी 5 प्रतिशत अंशदान राशि, पत्रिका यूनिफार्म, स्काउट साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, अलमारी, दरी, शिविर उपकरण, टेण्ट, शिविर व कार्यक्रम पर व्यय, स्टेशनरी दल हेतु।
5.	स्वतंत्र दल/वेंचर क्लब	5/- रुपये	

- क्रय की जाने वाली सामग्री जिले, संभाग व राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध है। अन्य स्थानों से स्काउट गाइड निधि से बिना अनुमति सामग्री क्रय नहीं की जा सकती।
- प्राप्त शुल्क से या पूर्व में जमा शुल्क से जुलाई के प्रथम पखवाड़े में दल पंजीयन/पंजीयन कोटामनी, व्यस्क प्रशिक्षण शुल्क 5 प्रतिशत अंशदान राशि भेजी जानी है।
- पंजीयन नवीनीकरण वार्षिक शुल्क।

दल	दल पंजीयन राशि	कोटामनी प्रति व्यक्ति राशि	व्यस्क प्रशि.प्र.यू.ली.शुल्क	चालू वर्ष का 5 प्रतिशत
1	2	3	4	5
कब बुलबुल	10.00	5.00	15.00	
स्काउट/गाइड	30.00	10.00	15.00	
रोवर रेंजर	40.00	10.00	15.00	
वेंचर क्लब	5.00	10.00	15.00	
स्वतंत्र दल	5.00	10.00	15.00	

4. शा. प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय (कब बुलबुल स्काउट गाइड) पंजीयन नवीनीकरण की राशि राज्य शिक्षा केंद्र से प्रदान की जाएगी।

नोट: ब्लाकवार कब बुलबुल स्काउट गाइड पंजीकृत दलों में 20 प्रतिशत वृद्धि कर नवीन दलों की सूची जिले द्वारा ए.एस.ओ.सी. के माध्यम से 30 अगस्त तक राज्य मुख्यालय को भेजेंगे।

5. शा. अशा. हाईस्कूल/उ.मा.वि. में स्काउट गाइड रोवर रेंजर दलों की पंजीयन नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष, संस्था, विद्यालय की स्काउट/ गाइड निधि की जमा राशि से 15 अगस्त के पूर्व जिले में पंजीयन/नवीनीकरण की 4 प्रतियों में जमा कराना अनिवार्य है।

6. आ.शा.प्रा.वि.मा.वि. से भी नियमानुसार शुल्क समय सीमा से प्राप्त कर ए.एस.ओ.सी. के माध्यम से भेजा जाना है।

7. ब्लाक/जिला स्तर पर जहां दल पंजीयन राशि प्राप्त की जाती है वहां के (सेन्सेस गणना/गौशवारा) संलग्न प्रोफार्म में 3 प्रति में तथा प्राप्त आवेदन की 2 प्रति के साथ संभागीय कार्यालय के माध्यम से 30 सितंबर तक जमा कर रसीद की फोटो के साथ राज्य मुख्यालय को सूचित करेंगे। (सचिव/डी.ओ.सी.)

8. पंजीकृत दलों के चार्टर बनाकर संभागीय अधिकारी (ए.एस.ओ.सी.) से हस्ताक्षर करवाकर संबंधित संस्था को दिसंबर तक प्रदान करेंगे। (सचिव/डी.ओ.सी.)

9. नवीनीकरण की सूची पृथक से बनाकर ए.एस.ओ.सी. से नवीनीकरण 30 जनवरी तक कराएंगे। (सचिव/डी.ओ.सी.)

10. शा./अ.शा./स्वतंत्र दल/बेंचर क्लब/आदि./अनु.ज.जा./अनु.जा. के दलों की पंजीकृत/नवीनीकृत सूची पृथक पृथक बनाकर 30 जनवरी तक भेजेंगे। (सचिव/डी.ओ.सी.)

11. राज्य शिक्षा केंद्र/अनु.जा./अनु.ज.जा. से प्राप्त राशि से पंजीकृत दलों की सूची राज्य मुख्यालय से जिलों में भेजी जाएगी। जो जिले की लक्ष्यपूर्ति में जोड़ी जाएगी। (पंजीयन शाखा)

12. संस्था में 1 से अधिक दलों को खोला जा सकता है (कब, बुलबुल, स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर) किन्तु प्रत्येक दल के लिए पृथक पृथक यूनिट लीडर को प्रशिक्षण दिलवाना अनिवार्य है।

13. यदि संस्था में दर्ज संख्या कम हो तो दी गई आदर्श संख्या में कमी की जा सकती है। जैसे 12, 16, 18; 24

14. जिस दल का पंजीयन/नवीनीकरण कराना हो तो ऐसे दल के सदस्यों की संख्या में कोटामनी का गुणा करके राशि वाली कालम में लिखें।

15. जिले में 50 से कम दर्ज संख्या वाले विद्यालयों की सूची तथा 50 से अधिक संख्या वाले की सूची राज्य मुख्यालय को भेजने पर ही लक्ष्य पूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा।

16. प्रत्येक विभाग में लक्ष्य पूर्ति हेतु जिलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर प्राप्त करने पर पुरस्कृत किए जाने की पंजीयन नीति में घोषणा की गई है।

दल गठन अभियान हेतु गठित दल का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र क्रमांक – 01

-: विकासखंड वार :-

विकासखंड का नाम :.....जिला.....

क्र.	जिला स्तर पर मानीटरिंग करने वाले प्रभारी का नाम	विकासखंड स्तर पर प्रभारी का नाम	दिनांक एवं स्थान अपंजीकृत विधालय से भेंटकर दल गठित करने जायेंगे।		विधालयो से भेंटकर दल गठित हेतु स्काउटर-गाइडर का विवरण					
			दिनांक	शाला का नाम	नाम	पद	पदस्थ स्थान	मोबाइल नम्बर	स्काउटिंग योग्यता	

निर्देश :-

- दल गठन हेतु सक्रिय स्काउटर-गाइडर की सेवायें ली जावें।
- जिला स्तर पर प्रभारी, जिला संघ के जिला सचिव/डी.ओ.सी. (स्का.गा.)/डी.टी.सी. (स्का.गा.) एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों को दायित्व दिया जावें।
- विकास खंड स्तर पर प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं किसी सक्रीय प्राचार्य को दायित्व सौंपा जावें।

दल गठन अभियान के अंतर्गत गठित दलों का जिलेवार प्रतिवेदन (राज्य मुख्यालय भोपाल भेजने हेतु)

प्रपत्र क्रमांक - 02

क्र.	अपंजीकृत गठित दल/विधालय का नाम	शास0 / अशास0	विकासखंड का नाम	स्काउटर-गाइडर का नाम, पता एवं मोबाइल न.	संस्था प्रमुख का नाम एवं मोबा.न.	स्का0गा0 छात्र संख्या	ड्राफ्ट क्र. दिनांक, राशि का विवरण	पंजीयन प्रपत्र
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

दल गठन अभियान के अंतर्गत गठित दलों का विवरण प्रपत्र

प्रपत्र क्रमांक – 03

जिला स्तरीय अधिकारी का नाम :.....विकासखंड का नाम.....जिला.....

क्र.	अपंजीकृत विधालयों का नाम जहाँ दल गठित किये गये	स्काउट-गाइड छात्र संख्या	स्काउटर-गाइडर का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर			संस्था प्रमुख का नाम एवं मोबाइल न.	पंजीयन फार्म, छात्र/छात्राओं की सूची एवं ड्राफ्ट का विवरण
			नाम	पता	मोबाइल न0		
1							
2							
3							
4							
5							
6							